24

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1416-चार/2008 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 6-7-2007 - पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्र0क0 527/2000-01 अपील

अब्दुल बहाव अंसारी बल्द सकूरवक्त अंसारी
ग्राम नौढ़िया आवाद पोस्ट जियावन
तहसील देवसर जिला सिंगरोली ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री प्रखर डेंगूला)

आ दे श
(आज दिनांक 1-8-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 527/2000-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के आधार पर तहसीलदार देवसर के न्यायालय में आवेदक के विरूद्ध प्रकरण कमांक 5 अ-68/2000-01 पॅजीबद्ध किया गया तथा आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनॉक 15-12-2000 पारित करके आवेदक पर 500/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित करके बेदखली के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, देवसर/चितरंगी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी ने प्रकरण कमांक 39/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-01

से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 527/2000-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2007 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि पटवारी के द्वारा विद्वेष के कारण आवेदक के विरूद्ध झूँठा अतिक्रमण का प्रतिवेदन दिया गया था। पटवारी रिपोर्ट पर आवेदक को प्रतिपरीक्षण का मोका नहीं दिया गया है। आवेदक की साक्ष्य भी नहीं ली गई है। विवादित भूमि अवेदक ने अंतरण में प्राप्त की है एंव शांतिपूर्वक खेती करते आ रहा है जिसके कारण धारा 248 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि वादित भूमि मध्य प्रदेश शासन की है शासन की भूमि ग्राम में सार्वजनिक हित के लिये रखी जाती है जिस पर आवेदक जबरन कब्जा करके एकागी उपभोग में लिये है इसलिये तहसीलदार ने शासकीय भूमि पर से आवेदक को बेदखल करने का सही निर्णय लिया है। उन्होंने तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को ठीक होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि वाद विचारित भूमि शासकीय है एंव अभिलेख में भी शासन के नाम दर्ज है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट हलका पटवारी ने प्रस्तुत की है जिस पर से तहसीलदार देवसर ने आवेदक के विरूद्ध कमांक 5 अ-68/2000-01 पॅजीबद्ध किया है। जहां तक तहसीलदार द्वारा आवेदक को बचाव एंव सुनवाई का अवसर न दिये जाने का प्रश्न है ? अपर आयुक्त, रीवा

संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 527/2000-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2007 में इस बिन्दु पर निष्कर्ष दिया है कि :-

तहसीलदार ने अपीलार्थी को विधिवत् कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कारण बताओ नोटिस का जवाव अपीलार्थी के व्दारा दिया गया था लेकिन वाद में अपीलार्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की और न ही अपने जवाव के समर्थन में कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया है।

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 6-7-07 में दिये गये उक्तानुसार निष्कर्ष से आवेदक के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्क वास्तविकता के विपरीत है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन हैं

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 527/2000-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2007 उचित होने यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर